वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेडा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि: बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in

Western Coalfields Limited,
Office of the Area General Manager,
Pathakhera Area – Th:Ghoradongri
Dist: Betul – 460 449
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/ AGM/ SO (P&P) /2016/ Date: 12/11/2016

प्रति,
जिलाधिकारी,
जिला बैतुल (म.प्र.),

विषयः– वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र की शोभापुर खदान के लिए प्राप्त वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाणपत्र को नये निर्धारित प्रपत्र में देने बाबत।

संदर्भः– सहायक वन संरक्षक (भुप्रबंधक) भोपाल का पत्र कमांक एफ–1 FP/MP/MIN/20924/2016/2358 भोपाल दिनांक 4/11/2016

महोदय,

उपरोक्त विपयांतर्गत संदर्भिय पत्र के तारतम्य में लेख है कि संचालित शोभापुर खदान का 80.902 हे. वन भुमि का प्रस्ताव, भुमिगत खनन कार्य के नियमितीकरण हेतु, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृती बाबत भुप्रबंध कार्यालय, भोपाल में लंबित है।

उपरोक्त खदान के लिए भुमिगत खनन कार्य हेतु, रकबा 80.902 हे., के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाणपत्र पुर्व में प्राप्त है। भुप्रबंध कार्यालय, भोपाल को भारत सरकार के पत्र क.11–9/98–FC(pt) दि 5/7/2013 के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है की नये निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :– पुर्व में प्राप्त प्रमाणपत्र

भवदीय,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
पाथाखेड़ा क्षेत्र

प्रतिलिपीः–1. मुख्य वन सरक्षक, बैतूल वृत, बैतूल (म.प्र.)।
2. सहायक वन संरक्षक (भुप्रबंध) भोपाल
3. महाप्रबंधक (भु/राजस्व), वेकोलि, मुख्यालय नागपूर

कार्यालय ग्राम पंचायत शोभापुर ग्राम जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल (मध्य–प्रदेश)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. वेस्टर्न कोलफील्डस् लिमिटेड की शोभापुर परियोजना में " 33 के.व्ही.विद्युत लाईन आरेखन, स्थाई टीन सेड , स्वीच एवं ट्रॉंसफार्मर हेतू 3.0 हेक्टर वन भूमि के उपयोग हेतू " एवं " वर्ष 1980 के पूर्व अधिगृहित की गई भूमि में वर्ष 1980 के पूर्व एवं उपरान्त किये कार्यो / भूमिगत खनन के वन स.अधि. 1980 के तहत 80.902 कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्ति हेतू " का कार्य किया जाना प्रस्तावित है । मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम शोभापुर के आरक्षित /संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड संरक्षित वन भूमि 164 शोभापुर ग्राम एवं आरंक्षित वन भूमि के कक्ष कमांक 383 के खसरा कमांक 186 और 164 कमशं शासकीय बड़े झाड़ के जंगल एवं संरक्षित/बड़े झाड़ के जंगल में है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम की बैठक दिनांक 2-10-10 को की गई,जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा में व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझा लिया है ।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एद्द द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न : आम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक: 02/10/010

ग्राम सभा का प्रस्ताव क्र. 11 में अनुमोदित।
ग्राम सभा को उक्त भूमि के उपयोग पर किसी प्रकार की आपत्ति नही है

सरपंच
ग्राम पंचायत शोभापुर
जन पंचा. घोड़ाडोंगरी

सरपंच
ग्राम पंचायत शोभापुर
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित
जन पंचा. घोड़ाडोंगरी

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
शोभा. उपक्षेत्र
वे.को.लि. पाथा. क्षेत्र

कार्यालय ग्राम पंचायत **शोभापुर ग्राम**
जनपद पंचायत **घोड़ाडोंगरी**
जिला **बैतूल** (मध्य–प्रदेश)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. वेस्टर्न कोलफील्डस् लिमिटेड की शोभापुर परियोजना में " 33 के.व्ही.विद्युत लाईन आरेखन, स्थाई टीन सेड, स्वीच एवं ट्रॉसफार्मर हेतु 3.0 हेक्टर वन भूमि के उपयोग हेतु वर्ष 1980 के पूर्व अधिगृहित की गई भूमि में वर्ष 1980 के पूर्व एवं उपरान्त किये कार्यो / भूमिगत खनन के वन स.अधि. 1980 के तहत 80.902 कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्ति हेतु मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम शोभापुर के आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड संरक्षित वन भूमि 164 शोभापुर ग्राम एवं आरक्षित वन भूमि के कक्ष कमांक 383 (480) के खसरा कमांक 166 और 164 कमशः शासकीय बड़े झाड़ के जंगल एवं संरक्षित / बड़े झाड़ के जंगल में है एवं पूर्व से प्राप्त 122.029 हे.वनभूमि में से 90हे.उपयोग की गई वन भूमि की नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है । मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम शोभापुर के आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड कक्ष कं.340,344,345 एवं 346 में प्रस्तावित क्षेत्र सम्मिलित है ।

   उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.11.2011 को की गई,जिसमें ग्राम सभा की उपस्थिति कोरम पूर्ण था ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा में व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझा लिया है ।

4. **वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एद्द द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है ।**

संलग्न : ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक: 23.11.011

ग्राम सभा के प्रस्ताव क्र. 09 से अनुमोदन लिया जाता है।

सचिव
ग्राम पंचायत शोभापुर

सरपंच
हस्ताक्षर व्यक्ति एवं मुद्रा सहित

कार्यालय ग्राम पंचायत शोभापुर
विकास खण्ड घोड़ाडोंगरी जिला – बैतूल (म.प्र.)

ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत शोभापुर के अधीन मध्यप्रदेश शासन की राजस्व बड़े झाड़ के जंगल एवं वन विभाग की भूमि के भूगर्भ में से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शोभापुर खान द्वारा खनन कार्य किया जाता है। इस भूमिगत उत्खनन कार्य से ग्राम पंचायत शोभापुर को कोई आपत्ति नहीं है। अपितु समाजिक विकास होगा । यह योजना शासन एवं ग्राम के हित में है । अतः ग्राम पंचायत शोभापुर को भूमिगत उत्खनन से कोई आपत्ति नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत शोभापुर
सीले

दिनांक :

उपक्षेत्रीय प्र...
शोभा. उ...
वे. को. लि...

11-1-10
उपक्षेत्रीय प्रबंधक
शोभापुर उपक्षेत्रीय
वे. को. लि. ...

बैठक कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

कार्यालय ग्राम पंचायत शोभापुर — विकास खंड घोड़ाडोंगरी — तह. घोड़ाडोंगरी — जिला बैतूल

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	[illegible] कुल संख्या - [illegible] ग्राम सभा में [illegible] [illegible] संख्या - 22	11	प्रस्ताव - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शोभापुर परियोजना में 55 के.वी. विद्युत लाईन ओवरहेड हाई टेंशन [illegible] हेतु 5.00 हे. भूमि के उपयोग हेतु [illegible] 1980 [illegible] 1980 के [illegible] उपयोग किये [illegible] 1980 के तहत [illegible] प्राप्त हेतु [illegible] प्रस्तावित है। मैं पंचायत क्षेत्र शोभापुर के आदिवासी / [illegible] 1980 के [illegible] है। 2 [illegible] 3 [illegible] है। 4 [illegible] है।			

ग्राम पंचायत शोभापुर
जन. पंच. घोड़ाडोंगरी

ग्राम पंचायत /ग्राम सभा एवं अन्य समितियो में लगने वाली
बैठक कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

कार्यालय ग्राम पंचायत शोभापुर — विकास खंड घोड़ाडोंगरी — तह. घोड़ाडोंगरी — जिला बैतूल

दिनांक	उपस्थित सदस्यो के नाम	प्रस्ताव कमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
23/11/011	ग्राम सभा की मतदाता संख्या-815 ग्राम सभा की उपस्थिति- 86	09	ग्राम-सभा की सहमति बावत्।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि (1) वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की शोभापुर परियोजना मे 33 के.व्ही. विद्युत लाईन आरेखन स्वाई टीम रोड, स्वीच एवं ट्रान्सफार्मर हेतु 3.0 हेक्टर वन भूमि के उपयोग हेतु वर्ष 1980 के पूर्व अधिग्रहित की गई भूमि मे वर्ष 1980 के पूर्व एवं उपरान्त किये कार्यों / भूमिगत खनन के वन स.अधि 1980 के तहत 80/2002 कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्ति हेतु मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम शोभापुर के आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र वन खण्ड संरक्षित वन भूमि 164 (शोभापुर) शोभापुर ग्राम एवं आरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 383, के खसरा क्रमांक 186 और 164 क्रमशः आरक्षीय बड़े झाड़ के जंगल एवं संरक्षित / बड़े झाड़ के जंगल मे है एवं पूर्व से प्राप्त 122.029 हे.वनभूमि मे से 90 हे. उपयोग की गई वन भूमि की नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम शोभापुर क्षेत्र के ग्राम शोभापुर के आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड कक्ष क्र. 354, 344, 345 एवं 346 मे प्रस्तावित क्षेत्र सम्मिलित है। (2) वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव ~~वन संरक्षण~~ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं इस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.11.2011 को की गई जिसमे ग्राम सभा की उपस्थिति कोरम पूर्ण था। (3) ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के विवरण को समझ लिया है। (4) वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है, अतः ग्राम सभा इसके द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया जाता है।	340 पृष्ठों मे हस्ता / अंगूठे

सत्यप्रतिलिपि

सरपंच
ग्राम पंचायत शोभापुर

सचिव
ग्राम पंचायत शोभापुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
(सम्बधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र)

1. प्रमाणित किया जाता है कि जिला बैतूल के ग्राम शोभापुर संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्रमांक 340 एवं वन क्षेत्र के खसरा क्र. 164 एवं 186 वनभूमि जो कोल बियरिंग एरिवाज (एरिवजिसन एवं डेव्हलपमेंट) एक्ट 1957 के अनुसार वर्ष 1980 के पूर्व अधिग्रहित की गई भूमि में वर्ष 1980 के तहत 80.902 हेक्टेयर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किए जाने के सम्बंध में शोभापुर परियोजना के लिए व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित है मै अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत व्यप्रर्वतन ऍवं अधिकारो के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखो के आधार पर यह पाया गया कि 3 खदान में व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 80.902हैक्टेयर वन भूमि पर उसके चारो ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई .भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नही है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि व्यपवर्ततन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र नव निवासियो की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावो की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके पात्र वन निवासियो की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावो की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित क्षेत्र 80.902हे. में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नही है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यो का न्यूनतम कोरम पूर्ण था।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परपम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (ई) के अनुसार आदिम जनजाति समूहो और कृषि पूर्व समुदायो के अधिकारो को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओ हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओ की इसमें सहमति है।

बी चंद्रशेखर
कलेक्टर
जिला बैतूल
अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

...अधिकारी (क्ष.)
...पुर